

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/एस.सी/एस.टी सेल/2017/704

जबलपुर दिनांक 7/10/17

प्रति,

(1) विभागाध्यक्ष,
विधि विभाग,
(2) विभागाध्यक्ष
शिक्षा विभाग (बी.एड)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर।

विषय— विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों के आवास सहायता योजना संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ— कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास का पत्र क्र. 1245/आ.वि./2017 दिनांक 4/9/17

(2) कार्यालय मुख्य कार्यपालन जिला जबलपुर का आदेश 1023/पौ.मै.छा./वि.व.आ.क.वि/2016 जबलपुर दिनांक 28/6/16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के परिपालन में अशासकीय संबद्ध विधि महाविद्यालय हेतु विभागाध्यक्ष विधि विभाग एवं अशासकीय शिक्षा (बी.एड) महाविद्यालय हेतु विभागाध्यक्ष शिक्षा (बी.एड) विभाग को महाविद्यालयों से प्राप्त आवास सहायता योजना प्रपत्र स्वीकृत करने हेतु प्रमाणीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्रशासनिक आदेशानुसार ऐसे छात्रों से 50 रुपये के गैर न्यायाधिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्राप्त किया जा सके जिससे की छात्रों की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके।

विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति/आवास सहायता योजना के कार्य हेतु पूर्व के आदेशानुसार उपकुलसचिव एस.टी/एस.सी. सेल श्री मेघराज निनामा, मुख्य नोडल अधिकारी का कार्य करेंगे, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों से प्राप्त समस्त प्रपत्रों को अग्रेषित करेंगे।

माननीय कुलपति के आदेशानुसार

(डॉ० बी० भारती)

कुलसचिव

जबलपुर दिनांक 7/10/17

पृष्ठ क्रमांक/एस.सी/एस.टी सेल 2017/704/A

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

- (1) माननीय कलेक्टर जबलपुर।
- (2) आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल।
- (3) आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश भोपाल।
- (4) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/पिछडा वर्ग जबलपुर।
- (5) माननीय कुलपति जी निज सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।
- (6) प्राचार्य.....।

की ओर सूचनार्थ तथा निर्देश है कि आपके कालेज की सेंक्सन आई डी वा पासवर्ड विधि एवं शिक्षा विभाग के कार्यालय तथा /एस.सी/एस.टी सेल में अतिशीघ्र प्रस्तुत करे जिससे की लंबित आवास सहायता योजना के प्रपत्र स्वीकृत हो सके।

7-प्रभारी, कम्प्यूटर सेक्टर

(डॉ० बी० भारती)

कुलसचिव

AS